

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या. 495/2023

आवेदिका श्रीमती वन्दना गुप्ता पति स्व० प्रोमित भगत, साकिन-गाँधी स्कूल रोड़ पोस्ट- झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भृमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

	मीजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
	गुमो	12	436	5906	7.31 डी०	रैयती
			'			
1						

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हरतगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्ते्हार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...2.0./....0.9.../2023 को प्रस्तुत करें।

> 1409/2 अंचलं अधिकारी, कोडरमा ।

20.09.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं0-12, खाता सं0-436, प्लॉट, सं0-5906, रकवा-7. 31 डी0, खाता नं0-107, प्लॉट सं0-5827 / 6318, रकवा-5.3 डी0 भूमि पंजी-II के पुष्ठ संख्या–169, भाग संख्या–42 पर श्रीमती वन्दना गुप्ता पति श्री प्रोमित भगत के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दाo खाo वाद सं0-07/2014-15 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। उक्त भूमि केवाला संख्या–1878 दिनांक 22.04.2013 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। **शपथ पत्र संख्या—23 दिनांक 01.09.2023 (नॉटरी** पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

> 20/09/7 अंचल अधिकारी. कोडरमा